राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)
(दूरभाष 0141–2227229, **Email-pdre_rdd@yahoo.com**)

क्रमांक एफ 4 (21)ग्रावि/अनु.:8/2015 जयपुर, दिनांक 20/3/15

विडियो कॉन्फ्रेंस कार्यवाही विवरण

श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषदों के साथ दिनांक 18.3.2015 को विडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गयी है। विडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदत्त निम्न निर्देश प्रदान किये गयेः–

1 ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में माह **फरवरी 2015 तक 50 प्रतिशत उपलब्धी अर्जित** की है जो कि गत वर्ष की तुलना में **12 प्रतिशत कम** है। अतः सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त योजनाओं में उपलब्ध राशि का 80 प्रतिशत व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।

2 आगामी वर्ष में प्रगति कम नहीं हो इसके लिए आवश्यक है कि सभी योजनाओं में 30 अप्रेल 2015 तक स्वीकृतियॉ (प्रशासनिक स्वीकृति) जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

3 बीएडीपी, डांग, मगरा एवं मेवात योजना में 15 अप्रेल तक जिले उनको आवंटित राशि का 150 प्रतिशत के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करें तथा सभी योजना प्रभारी 25 अप्रेल तक राज्य स्तरीय बैठक आयोजित कर कार्यो का अनुमोदन प्राप्त करें तथा 30 अप्रेल तक स्वीकृतियॉ जारी किया जाना सुनिश्चित करेगें।

4 एमएलए लैड में प्रगति सबसे कम 31 प्रतिशत है। अतः सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जारी प्रशासनिक स्वीकृति की सीमा तक वित्तीय स्वीकृति जारी कर शत प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करें।

5 **आईएवाई योजना** में 51 प्रतिशत व्यय अर्जित किया है उसे बढाकर 70 प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

   A. वर्ष 2011–12 के समस्त आवास जून 2015 तक एवं 2012–13 के समस्त आवास सितम्बर 2015 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाये और जो कार्य पूर्ण नहीं हो सकते है उनका अंतिम निस्तारण कर अस्वीकार/कण्डम घोषित किया जाना सुनिश्चित करें।

   B. वर्ष 2014–15 में स्वीकृत इन्दिरा आवासो की द्वितीय किश्त 31 मार्च तक भेजा जाना सुनिश्चित करें।

   C. मनरेगा कन्वर्जेन्स की बकाया स्वीकृतियॉ 31 मार्च तक जारी की जावें।

   D. आईएवाई योजना के लाभार्थीयों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय स्वीकृत किये जाने है। वर्तमान तक लगभग 64000 शौचालय स्वीकृत किये

है, 40000 शौचालय की स्वीकृति अभी तक शेष है जिन्हें 31 मार्च तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

E. आईएवाई योजना में जिन जिलों के सबसे ज्यादा टारगेट है उन जिलों के आगामी 10 दिवस में पुनः समीक्षा की जाये।

F. वर्ष 2015–16 के लिए लाभार्थियों को लक्ष्य के अनुरूप 106800 का पंजीयन किया जाना है जो कि अभी तक 21476 का किया गया है। पंजीयन का कार्य 31 मार्च तक पूर्ण कराये जाने है जिससे कि आगामी समस्त स्वीकृतियॉ 30 अप्रेल से पहले–पहले जारी हो सके।

G. मनरेगा योजना से 104 लाख स्वीकृतियों के विरूद्ध 65000 आवासों की डबटेलिंग की स्वीकृतियॉ जारी कर दी गयी है शेष 39500 की स्वीकृति जारी किया जाना है।

6 **एमपीलैड योजनान्तर्गत** 15वीं लोकसभा में 6016 कार्य अपूर्ण है जिन्हें शीघ्र पूर्ण किया जाये।

i. योजना में भारत सरकार द्वारा एमआईएस की वैबसाईट प्रारम्भ की गयी है जिसमें समय–समय पर पृविष्ठियॉ इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित की जाये। यह ध्यान रखा जाये कि योजना में प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृतियों का कार्य आईडब्ल्यूएमएस के माध्यम से ही जारी की जाऐगी।

ii. योजना में गत वर्ष 6016 के कार्य, इस वर्ष 668 कार्य कुल 6684 कार्यो में से केवल 2737 कार्य पूर्ण किये गये है। अतः समस्त कार्यों को 31 मार्च तक पूर्ण करवाने के प्रयास किये जाये। जोधपुर में 143, नागौर 785, सीकर 593 कार्य अपूर्ण है जिन्हें 31 मार्च तक पूर्ण करवायें।

iii. योजना में ग्रेवल सड़क के समस्त कार्यो को नरेगा से डबटेल करवाना अनिवार्य है।

7 **गुरू गोलवलकर जनभागीदारी योजना (जीजेवीवाई)** में 72.43 प्रतिशत व्यय हुआ है लेकिन कुछ जिलों में जिसमें टोक– 3.79, चुरू–15.29, बूँदी–1896, झालावाड– 33. 04, श्रीगंगानगर– 36.38 प्रतिशत है। ये सभी जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यवार प्रगति की समीक्षा करे तथा व्यय को 31 मार्च तक 80 प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करें

8 **स्वविवेक योजना** में 40 प्रतिशत प्रगति है। इसमें 4.00 करोड के विरूद्ध 2.50 करोड की स्वीकृति जारी की गयी है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से पूर्व में 31 दिसम्बर तक स्वीकृतियॉ जारी करने के निर्देश दिये गये थे लेकिन ये स्वीकृतियॉ जारी नहीं की गयी है। यह सुनिश्चित किया जाये कि 31 मार्च तक समस्त स्वीकृतियॉ जारी कर दी जाए तथा योजना में व्यय 70 प्रतिशत तक रखा जाये।

9 **आईडब्ल्यूएमएस (IWMS)**–

i. सभी जिलों द्वारा **IWMS** पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। आईडब्ल्यूएमएस की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 17434 कार्यो के प्रपोजल, 16300 कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति, 12677 कार्यो की तकनीकी स्वीकृति, 11606 कार्यो की वित्तीय स्वीकृति की स्वीकृतियॉ जारी की गयी है साथ ही 7789 कार्य प्रारम्भ, 4867 कार्य प्रगतिरत, 353 कार्यो की उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं 159 कार्यो का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

ii. 1 अप्रेल 2015 से केवल आईडब्ल्यूएमएस पर ही एमपीआर जनरेट की जायेगी। अलग से चलाये जाने वाले online एमपीआर सिस्टम को पूर्णतया बंद किया जायेगा।

iii. आईडब्ल्यूएमएस के "Reports" के भाग को पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा।

iv. आईडब्ल्यूएमएस पर इण्टरफेस की सुविधा दी गयी है। अतः जिले द्वारा कोई भी मार्गदर्शन/पत्राचार उसके माध्यम से किया जायेगा, जिससे की क्षेत्र से Interection में कम समय लगे।

v. आईडब्ल्यूएमएस साफ्टवेयर का प्रति दो माह में प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा यदि किसी जिले को कोई समस्या हो तो ऑनलाईन समस्या द्वारा या व्यक्तिगत रूप से मुख्यालय आकर समस्या का निदान किया जा सकता है।

10 आगामी विडियो कॉन्फ्रेन्स 15 अप्रेल 2015 को 10.00 बजे से 6.00 बजे होगा। आयोजित की जायेगी। अतः सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि 15 अप्रेल से पूर्व ब्लॉक व जिला स्तर पर बैठक रख ली जाये। मॉनिटरिंग प्रक्रिया को मजबूत किया जाये। आईडब्ल्यूएमएस का अधिकाधिक उपयोग किया जाये।

i. जिले प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति कार्य प्रारम्भ, कार्य की प्रगति, उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा पूर्णता प्रमाण के लिए लम्बित मामलों में कार्यवार समीक्षा करेंगे।

11 **सांसद आदर्श ग्राम योजना** (एसएजीवाई) योजना में हाउस होल्ड बेसलाईन सर्वे सभी जिले 31 मार्च तक पूर्ण करे तथा 15 मई तक ग्राम विकास योजना (Villedge Development Plan) तैयार करेंगे।

12 मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में 31 मार्च तक मा0 विधायकों से सम्पर्क कर आदर्श ग्राम पंचायत का चयन करायेंगे तथा आगामी 2 माह में योजना के विषय में ग्राम पंचायत में जागरूकता बढ़ाने, माहोल तैयार करवाने का कार्य किया जाएगा साथ ही बेसलाईन सर्वे का कार्य पूर्ण कराया जाएगा।

सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आगामी विडियों कॉन्फ्रेन्स (15.4.2015) से पूर्व जिला स्तर पर सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा का नोट अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से राज्य स्तर पर भेजेंगें। जिस पर मुख्यालय से तुरंत आवश्यक रिएक्शन दिया जायेगा ।

परि0निदे0एवं पदेन उप सचिव
(एम एण्ड ई)

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।

न सचिव ग्रामीण विकास विभाग।

सन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।

युक्त, महात्मा गांधी नरेगा।

निदेशक, जलग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग।

निदेशक, मिड़–डे–मील, जयपुर।

युक्त एवं संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन–2), पंचायती राज विभाग।

सीडीयू), पंचायती राज विभाग।

सन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास/पंचायती राज विभाग।

शासन सचिव, जिला आयोजना, पंचायती राज विभाग।

सलाहकार, ग्रामीण विकास/महानरेगा/पंचायती राज विभाग।

निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस. ग्रामीण विकास विभाग।

निदे. एवं उप सचिव,/एसएपी/(मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास विभाग।

त. मुख्य अभियन्ता, एसएपी–सीएसएस, ग्रामीण विकास विभाग।

धीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास/महानरेगा (श्री योजना)।

धीक्षण अभियन्ता, प्रोजेक्ट/स्वच्छता, पंचायती राज विभाग।

संयुक्त निदेशक, मॉनिटरिंग, पंचायती राज विभाग।

. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु। ।

परि0निदे0एवं पदेन उप सचिव
(एम एण्ड ई)